न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

पीठासीन अधिकारी मुकुल शर्मा, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 08/2025 अन्तर्गत प्रतिभूति–हित का प्रर्वतन अधिनियम 2002

केपरी ग्लोबल हाउसिंग फाइनेन्स लिमिटेड जरिये अधिकृत अधिकारी जितेन्द्र सिंह राजावत, पंजीकृत कार्यालय–502, टावर ए, पेनीनसूला बिजनेस पार्क, लोवर परेल, मुम्बई, महाराष्ट्र–400013

–प्रार्थी (प्रतिभूति लेनदार)

बनाम

1. **गोपाल शर्मा पुत्र बद्रीनारायण शर्मा**

   प्रथम पताः– वार्ड नं. 17, शिव कॉलोनी, अजीतगढ़, जिला सीकर(राज.) 332701

   द्वितीय पताः– केयर ऑफ मैसर्स अन्नपूर्णा प्रोविजन स्टोर, वार्ड नं. 12, गौशाला मार्केट, श्रीमाधोपुर, जिला सीकर (राज.) 332701

   तृतीय पताः–पट्टा नं. 48, ग्राम अजीतगढ, ग्राम पंचायत अजीतगढ़, श्रीमाधोपुर, जिला सीकर (राज.) 332701

2. **अंजू शर्मा पत्नी गोपाल शर्मा**

   प्रथम पताः– केयर ऑफ मैसर्स श्रीराम कोचिंग इंस्टीट्यूट, वार्ड नं. 17, शिव कॉलोनी, अजीतगढ़, जिला सीकर (राज.)

   द्वितीय पताः– पट्टा नं. 48, ग्राम अजीतगढ, ग्राम पंचायत अजीतगढ़, श्रीमाधोपुर, जिला सीकर (राज.) 332701

   तृतीय पताः– वार्ड नं. 12, गौशाला मार्केट, श्रीमाधोपुर, जिला सीकर (राज.) 332701

–अप्रार्थीगण (ऋणी/सहऋणी/बंधककर्ता)

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.

निर्णय

दिनांकः 24 मार्च, 2025

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता **श्री कंचन सिंह चौधरी** द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण संख्या 1 एवं 2 क्रमशः **गोपाल शर्मा पुत्र बद्रीनारायण शर्मा** एवं **अंजू शर्मा पत्नी गोपाल शर्मा** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थीगणों के स्वामित्व की अचल सम्पत्तियां निम्नानुसार हैं।

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

I. **पट्टा नं. 48, ग्राम अजीतगढ, ग्राम पंचायत अजीतगढ़, श्रीमाधोपुर, जिला सीकर (राज.)** में स्थित है। जिसका **कुल क्षेत्रफल 316.66 वर्गगज** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं– पूरब दिशा में छोटू पुत्र अलादीन का भूखण्ड, पश्चिम दिशा में मालीराम दर्जी का भूखण्ड, उत्तर दिशा में कॉमन रोड एवं दक्षिण दिशा में बाडा सुरजमल व मदनलाल शिखवाल स्थित है।

II. **दुकान नं. 12, गौशाला मार्केट, श्रीमाधोपुर, जिला सीकर(राज.)** में स्थित है। जिसका **कुल क्षेत्रफल 21.52 वर्गगज** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं– पूरब दिशा में सांवरमल मेडा की दुकान, पश्चिम दिशा में रामावतार की दुकान, उत्तर दिशा में कॉमन रोड एवं दक्षिण दिशा में भगवती प्रसाद का मकान स्थित है।

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)

उक्त सम्पत्तियों को बंधक रखकर **कुल ₹56,98,716/– (अक्षरे रूपये छप्पन लाख अठानवे हजार सात सौ सोलह)** की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक **08.10.2024** को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई।

3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना में सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

4. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक **08.10.2024** को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) एवं समाचार पत्र में प्रकाशन की फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

5. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण संख्या 1 एवं 2 क्रमशः **गोपाल शर्मा पुत्र बद्रीनारायण शर्मा** एवं **अंजू शर्मा पत्नी गोपाल शर्मा** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थीगणों के स्वामित्व की अचल सम्पत्तियां निम्नानुसार हैं।

III. **पट्टा नं. 48, ग्राम अजीतगढ, ग्राम पंचायत अजीतगढ़, श्रीमाधोपुर, जिला सीकर (राज.)** में स्थित है। जिसका **कुल क्षेत्रफल 316.66 वर्गगज** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं– पूरब दिशा में छोटू पुत्र अलादीन का भूखण्ड, पश्चिम दिशा में मालीराम दर्जी का भूखण्ड, उत्तर दिशा में कॉमन रोड एवं दक्षिण दिशा में बाडा सुरजमल व मदनलाल शिखवाल स्थित है।

IV. **दुकान नं. 12, गौशाला मार्केट, श्रीमाधोपुर, जिला सीकर(राज.)** में स्थित है। जिसका **कुल क्षेत्रफल 21.52 वर्गगज** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं– पूरब दिशा में सांवरमल मेडा की दुकान, पश्चिम दिशा में रामावतार की दुकान, उत्तर दिशा में कॉमन रोड एवं दक्षिण दिशा में भगवती प्रसाद का मकान स्थित है।

उक्त बंधक सम्पत्तियों का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु प्रार्थी वित्तीय संस्था को पुलिस इमदाद जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर द्वारा प्राप्त किये जाने के आदेश प्रकरण अथवा बंधक सम्पत्ति पर किसी दिगर न्यायालय का स्थगन नहीं होने की शर्त पर दिये जाते हैं। उक्त आदेश की पालना हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।

6. आदेश आज दिनांक **24 मार्च, 2025** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)